भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3369
गुरुवार, 20 मार्च, 2025 (29 फाल्गुन, 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस

3369. डॉ. राजकुमार सांगवानः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (ईपीएल) शुरू किया है;
(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों, कार्यान्वयन की स्थिति और लाभों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने पायलटों के लिए ईपीएल प्रणाली को पहले ही अपना लिया है;
(घ) क्या सरकार का इस डिजिटल प्रणाली को अन्य विमानन पेशेवरों, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर्मियों और इंजीनियरों तक विस्तारित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा देश में नागर विमानन की सुरक्षा, संरक्षा और दक्षता को आधुनिक बनाने और बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): उड़ान कर्मीदल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंसिंग (ईपीएल) कार्यान्वयन का पहला चरण दिनांक 20 फरवरी, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) एनेक्स I में 178वें संशोधन के अनुसार शुरू किया गया था।

नागर विमानन लाइसेंसिंग प्रणाली की सुरक्षा, संरक्षा और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से ईपीएल को लागू किया गया है। ईपीएल प्रणाली वैश्विक स्तर पर अंतर-संचालनीय और विश्वसनीय होनी चाहिए, क्योंकि यह विभिन्न जारीकर्ता प्राधिकरणों को आपस में जोड़ेगी।

ईपीएल कार्यान्वयन कुछ लाभ प्रदान करता है जैसे-

(i) निर्बाध, कुशल और वैश्विक रूप से स्वीकृत उड़ान कर्मीदल लाइसेंसिंग तंत्र;

(ii) वास्तविक समय आधार पर अपडेट

(iii) पर्यावरण और लागत संबंधी लाभ

(iv) सुव्यवस्थित सत्यापन से वैश्विक स्तर पर भारतीय पायलटों को सशक्त बनाना

(v) ईजीसीए मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से कहीं भी, कभी भी पायलट लाइसेंस तक पहुंच;

(ग): आईसीएओ के अनुसार, चीन ने अपने पायलटों के लिए ईपीएल प्रणाली को अपनाया है।

(घ): वायु यातायात नियंत्रक के लिए, एटीसी कार्मिकों हेतु इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (ईपीएल) व्यवस्था अक्टूबर 2024 से ही लागू की जा चुकी है और विमान अनुरक्षण इंजीनियरों (एएमई) के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) वर्तमान में स्मार्ट कार्ड प्रारूप में क्यूआर-आधारित एएमई लाइसेंस जारी करता है। डीजीसीए, एएमई के लिए मौजूदा स्मार्ट कार्ड लाइसेंस को भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस से बदलने की प्रक्रिया में है।

(ङ): नियमावली और नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के अनुपालन को मॉनीटर करने के लिए व्यवस्थित सुरक्षा निरीक्षण प्रक्रिया, ऑडिट के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई, पर्याप्त विनियामक सहायता के माध्यम से अनुपालन के लिए संबंधित प्रचालक के साथ निगरानी और स्पॉट जांच, सुरक्षा संबंधी जानकारी का प्रसार और दुर्घटना/ घटना जांच रिपोर्टों से प्राप्त विभिन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन सहित विभिन्न उपाय नियमित आधार पर किए जा रहे हैं।

ऑडिट/ निगरानी के दौरान नियमों के उल्लंघन/ गैर-अनुपालन का पता चलने पर, डीजीसीए द्वारा वित्तीय दंड सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

*****